संख्या- 68 /2020/1803/30-3-20-18बी/2016

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 31 अगस्त, 2020

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अन्तर्लेखा संक्रमण हेतु प्रावधानित धनराशि को सड़क सुरक्षा कोष की निधि में जमा किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-898स0सु0/2020-29स0सु0/2016टीसी, दिनॉक 29-06-2020 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड़ मात्र) को अन्तर्लेखा संक्रमण द्वारा जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण के नामे डाला जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि को पुस्तक समायोजन द्वारा वर्ष 2020-21 में लोक लेखा के लेखाशीर्ष-8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों-200-अन्य निधियॉ-03-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष में जमा किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-68/2020/1803(1)/30-3-2020, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- गृह (पुलिस) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।